

बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)


सं0सं0-4तक0/विविध/131/2018

आ दे श

विषय : औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अंतर्गत **Monthly Minimum Charge/Minimum Base Energy Charge/ Demand/ Billing Demand** से छूट प्रदान करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।


निदेशानुसार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की कंडिका 2(vi) के अनुरूप औद्योगिक इकाईयों को **Monthly Minimum Charge/Minimum Base Energy Charge/ Demand/ Billing Demand** से छूट हेतु आदेश उद्योग विभागीय पत्रांक 651 दिनांक 25.04.2018 के संदर्भ में इकाईयों द्वारा उक्त छूट प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाता है :-

1. औद्योगिक इकाईयों द्वारा उद्योग विभागीय वेबसाइट www.udyog.bihar.gov.in पर **Monthly Minimum Charge/ Minimum Base Energy Charge/ Demand/Billing Demand** से छूट संबंधित आवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाइन किया जाएगा तथा वांछित कागजातों को अपलोड किया जाएगा।
2. विभाग द्वारा इकाईयों से प्राप्त आवेदनों एवं वांछित कागजातों की जाँच कर योग्य इकाईयों की सूची (उनके आवेदन सहित) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को अग्रसारित किया जा सकेगा। जिसके आधार पर ऊर्जा कंपनियों द्वारा योग्य इकाईयों को **Monthly Minimum Charge/Minimum Base Energy Charge/ Demand/ Billing Demand** से छूट प्रदान किया जा सकेगा। इस हेतु ऊर्जा कंपनियों को उद्योग विभाग द्वारा निधि का आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा।
3. इकाई कार्यरत होनी चाहिए।
4. उद्योग विभाग के स्तर पर इस संबंध में प्राप्त आवेदनों की जाँच का कार्य तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।


25.04.2018
निदेशक,


तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 652 पटना, दिनांक : 25.04.18
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड,
बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25.04.2018
निदेशक,


तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 652 पटना, दिनांक : 25.04.18
प्रतिलिपि : अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक,
हस्तकरधा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक
क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना/महाप्रबंधक, सभी
जिला उद्योग केन्द्र/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ
कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25.04.2018
निदेशक,

तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 652 पटना, दिनांक : 25.04.18
प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को प्रासंगिक आदेश की प्रति
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


25.04.2018
निदेशक,

तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।